न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री कनिष्क कटारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सोमाराम पुत्र चेलाराम, जाति कलबी, निवासी लुनियापुरा, तहसील आबूरोड़, जिला सिरोही।		लीलाराम पुत्र चेलाराम, जाति कलबी, निवासी लुनियापुरा, तहसील आबूरोड़ व अन्य – 5

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1व 2 संपठित धारा 151 सी.पी.सी.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2018

दिनांक 7.10.2022

निर्णय

यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर कथन किया कि मौजा ग्राम किवरली, पटवार हल्का किवरली में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की खसरा नंबर 159 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है, जिसमें प्रार्थीगण ने कुंआ खुदवा रखा है। यह कि वर्णित कृषि का मौके पर कृषि कार्य हेतु प्रार्थी संख्या 01 व 02 के मध्य आपस में बंटवारा हो रखा है। यह कि अप्रार्थी संख्या 01 व 06 प्रार्थीगण के भाई लगते है जो पहले राजकीय सेवा में सेवारत थे। यह कि कृषि भूमि के भाव बढ़ जाने से तथा ग्राम किवरली नगर सुधार न्यास के क्षेत्राधिकार में नही होने से अप्रार्थी संख्या 01 से 06 के मन में लालच उत्पन्न हो गया और वे प्रार्थीगण से पदसंख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि में से आधे हिस्से की अनुचित मांग सन् 2015 से करने लगे है। यह कि अप्रार्थी संख्या 01 से 06 राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 06 राजकीय सेवा से सेवानिवृत है, जो हर हाल में अपनी पहुंच व धनबल से प्रार्थीगण को विवादित कृषि भूमि से बेदखल करने हेतु प्रयासरत है। यह कि प्रार्थीगण को युक्तियुक्त आंशका बनी हुई है कि अप्रार्थी संख्या 01 से 06 विवादित कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल कर देंगे। अतः प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र वास्ते निषेधाज्ञा अप्रार्थी संख्या 01 से 06 को उनके अवैध कृत्य एवं प्रार्थीगण की कृषि भूमि में दखलअंदाजी से निवारित करने हेतु पेश है।

हमने प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. एक व छ. चारो सगे भाई है । यह कि चेलाजी ने किवरली की खसरा नं. 124/4 की 25 बीघा जमीन प्रार्थी सं. 1 के नाम एलोट कराई थी जिस पर चेलाजी , प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी सं. 1 व छः शामिल होकर खेती करते थे तथा सब ने मिलकर इस पर कुंआ भी खुदवाया था। प्र[illegible] मिलकर अप्रार्थी सं. 1 व 6 बिना सहमति के उक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थी सं. 2 के नाम कर[illegible] प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 व 6 की संयुक्त स्वामित्व की लुनियापुरा [illegible] मकान व भूखण्ड, उमरनी की कृषि भूमि तथा किवरली की विवादित भूमि का आपस में जबानी [illegible]जन तो हो गया जिसकी एक विभाजन लिखित तारीख 25.05.85 चारों भाईयों ने अपने दस्तखती लिखकर कबूल मंजूर किये थे लेकिन मौखिक रूप से बंटवाड़ा लिखित के अनुसार विधिवत विभाजन नही हुआ। यह कि उक्त विवादित कृषि भूमि को प्रार्थीगण अपना एकाधिकार बनाना चाहते हैं तथा प्रार्थीगण ने यह दावा अप्रार्थी सं. 1 व 6 के विरूद्ध बदनियति से कब्जे काश्त के अधिकार से वंचित रखने के लिए किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.27 11:45:51 IST
Reason: SelfAttested

है। यह कि उक्त विवादित भूमि संयुक्त परिवार की संपत्ति है जिसके विभाजन का दावा विचाराधीन है। अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है।

हमने उभय पक्ष बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश नजीरो का भी अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार प्रश्नगत आराजी ग्राम किवरली में खसरा नंबर 159 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी संख्या 02 हीमाराम ने जरिये बक्शीशनामा मौजा ग्राम किवरली, पटवार क्षेत्र किवरली के कृषि भूमि खसरा नंबर 159 रकबा 16–10 बीघा में से अपने हिस्से में से रकबा 4–00 बीघा कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 6 को दे दी है अतः उक्त कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 व 6 सहखातेदार है अतः धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहखातेदारो के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा नही दी जा सकती है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 7 .10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7.10.22

(कनिष्क कटारिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.27 11:45:51 IST
Reason: SelfAttested